Title : Situation arising out of non-implementation of proposed wage revision in SAIL.

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): माननीया अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान भिलाई स्टील प्लांट के चार लाख कर्मचारियों के हितों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। भिलाई इस्पात संयंत्र देश के नवरत्नों में से एक है। वहां जो चार लाख अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं वे पे रिवीजन के लाभ से आज भी वंचित हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में वेतन समझौते को लागू करने का निर्णय किया गया था। यह निर्णय इस्पात मंत्रालय को भेज दिया गया। इस निर्णय के 24 घंटे के बाद महामहिम ने इसे मान लिया और इस पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। नवरत्न कम्पनी 'सेल' के बोर्ड के डायरेक्टर्स ने 28 मई, 2009 को अपनी बैठक में इसे पास करके इस्पात मंत्रालय को भेज दिया। माननीय महोदया, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस्पात मंत्रालय में दो कम्पनीज 'रीनल' और 'सेल', इन दोनों ही कम्पनीज में 'रीनल' में तो 24 घंटे में महामहिम का यह आदेश जारी हो जाता है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर 'सेल' में चार लाख कर्मचारियों के हितों पर आघात किया जाता है। यह विसंगति आखिर हुई तो क्यों हुई। मैं यह अनुरोध भी करना चाहती हूं आपके माध्यम से सदन से कि चार लाख कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात न किया जाए। उनके हितों का ध्यान रखते हुए उनके हितों का संरक्षण किया जाए। जो विलम्ब हुआ है, उसकी भरपाई करते हुए राष्ट्रपति जी के निर्देश को तत्काल जारी कराया जाए और 'सेल' के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस वेतन समझौते को लागू करने का निदेश दिया जाए। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।